4-5-18

पंचायत समिति लोक अदालत कैम्प मोहबिमनपुरा में पेश हुई। उभय पक्षकारगण उपस्थित। प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत मूलवाद में शामिलात हो चुके है। मूलवाद में समझौता किये जाने के लिये लिखा जा चुके है। प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा के आगे चलाने में कोई औचित्य नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण कैम्प मुताबिक होमलम्बा से कम है तथा वाद तमसील प्राविधिक आधार है एवं मूलवाद के संदर्भ में निर्णय कैम्प मोहबिमनपुरा के मध्य आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

स्वा./ 4.5.18
सहायक कलक्टर
दौसा

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

सचिव
ग्राम पंचायत बिशनपुरा
पं.स. दौसा, जिला दौसा

सरपंच
ग्राम पंचायत बिशनपुरा
पं.स. दौसा, जिला दौसा